सुधीर सरदार **बनाम** पागा सरदार

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

13.11.18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1842 दिनांक 14.09.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 59A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सुधीर सरदार, पिता स्व0 कार्तिक सिंह सरदार, ग्राम–निश्चितपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता पागा सरदार पिता स्व0 शम्भू सरदार, ग्राम–बिकानीपुर, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
गोपीडीह	454	33	144	28डी0
			145	07डी0
			कुल–	35डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पितामह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 35डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 5.83एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता अलग–अलग थाना से है एवं जाति 'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विक्रेता एवं क्रेता अलग–अलग थाना के रहने वाले है। इसलिए भूमि बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।